संख्या-188 /2025/ 947/चार-2025-1896155

प्रेषक,

उमा द्विवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0,
जवाहर भवन, लखनऊ ।

संस्कृति अनुभाग: **लखनऊ: दिनांक: 30 मार्च, 2025**

विषय:- स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा अभियान के अन्तर्गत कराये गये सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-5045/सं0नि0-15(27)/2024-25, दिनांक 24 जनवरी, 2025एवं पत्र संख्या-5879/सं0नि0-15(27)/2024-25, दिनांक 18 मार्च, 2025का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारास्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के 04 स्थानों पर करायी गयी सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु धनराशि **रू0 28,69,951/-** की स्वीकृति के संबंध में निम्नानुसारअनुरोध किया गया है :-

क्र0	कार्यक्रम का नाम	कलाकार दल का नाम	धनराशि
1	वायलेन्ट ग्रुप	श्री अनुराग श्रीवास्तव, लखनऊ	50,000.00
2	फ्रेन्डशिप बैण्ड	श्री शिवम मिश्रा, अलीगंज, लखनऊ	50,000.00
3	सात्विक द बैण्ड	श्री सुभाशीष उपाध्याय, लखनऊ	40,000.00
4	फ्यूजन बैण्ड	श्री मोहन अवस्थी, लखनऊ	50,000.00
5	राहे मंजिल बैण्ड	श्री रजत चन्द्र लखनऊ	50,000.00
6	बन्दा बैरागी बैण्ड	श्री राधे श्याम पाल, लखनऊ	50,000.00
7	द रागा बैण्ड	श्री दीपक चौधरी, लखनऊ	50,000.00
8	मैसी म्यूजिकल बैण्ड	श्री अमित मैसी	50,000.00
9	मे0 एस-3 इन्फोमीडिया प्रा0लि0, लखनऊ	238/20.08.24	4,63,532.00
10	-तदैव-	239/20.08.24	3,25,243.00
11	-तदैव-	240/20.08.24	90,860.00
12	-तदैव-	241/20.08.24	8,49,364.00
13	-तदैव-	242/20.08.24	6,71,184.00
14	मे0 आदित्य इन्टरप्राइजेज, लखनऊ	**Sep**/2024/004/18.09.24	79,768.00
		योग	28,69,951.00
	(रू0 अट्ठाईस लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ इक्यावन मात्र)		

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रस्तावानुसारस्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लखनऊ के 04 स्थानों पर करायी गयी सांस्कृतिक कार्यक्रमों हेतु धनराशि **रू0 28,69,951/-(रूपये अट्ठाईस लाख उन्हत्तर हजार नौ सौ इक्यावन मात्र)**की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों/ प्रतिबन्धों के अधीन धनराशि अवमुक्त करने की अनुमति श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते है:-

(1) स्वीकृत धनराशि के आहरण/ व्यय एवं अन्य कार्यवाहियों में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में दिये गये दिशानिर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) निदेशक, संस्कृति निदेशालय, लखनऊ द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य न तो पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम से आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(3) उक्त कार्यक्रम में प्रतिभाग करने वाले कलाकारों का मानदेय एवं आवागमन भत्ता शासनादेश दिनांक 27.12.2022 में निहित व्यवस्थानुसार किया जायेगा।
(4) उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान वास्तविक बिल/ बाउचर्स के आधार पर किया जायेगा।
(5) समस्त कार्यों का भौतिक सत्यापन कर निर्धारित मानकों का अनुपालन करते हुए नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
(6) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण/उपयोग नियमानुसार किया जायेगा।
(7) उक्त स्वीकृति इस प्रतिबंध के अधीन है कि उपरोक्त स्वीकृत धनराशि आवंटित मदों पर व्यय की जायेगी, व्यय की अन्य मदों हेतु कदापि उपयोग नहीं किया जायेगा।
(8) संबंधित संस्था/ कलाकार द्वारा उपलब्ध कराये गये बिल बाउचर के परीक्षणोपरान्त स्वीकृत धनराशि को संस्थान के बैंक खाते में समयान्तर्गत भुगतान कराने की कार्यवाही संस्कृति निदेशालय द्वारा कराते हुए यथाशीघ्र शासन को सूचित किया जायेगा।
(9) उक्त धनराशि निदेशक, संस्कृति निदेशालय के निवर्तन पर है, अत: बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व संस्कृति निदेशालय का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश संस्कृति निदेशालय द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।
(10) धनराशि व्यय करने में समस्त वित्तीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जायेगा। उक्त धनराशि को व्यय किये जाने में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी एवं वर्तमान में प्रभावी मितव्ययिता संबंधी शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-92 केअन्तर्गत लेखाशीर्षक-2205-कला एवं संस्कृति-800-अन्य व्यय-13-आजादी का अमृत काल महोत्सव-42-अन्य व्यय मद से वहन किया जायेगा।

4. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या- 1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्राप्त दिशा निर्देशों के अन्तर्गत प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा - परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. वित्त नियंत्रक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
5. मुख्य कोषाधिकारी, कोषागार, जवाहर भवन, लखनऊ।
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/वित्त (ई-7) अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
उमा द्विवेदी
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।